न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट एवं अपीलीय भरण–पोषण न्यायाधिकरण अजमेर

अपील संख्या 10/2026

1. रोशनलाल पुत्र श्री सोहनलाल उम्र 55 वर्ष
2. दर्शनलाल पुत्र श्री सोहनलाल उम्र 48 वर्ष
3. श्रीमति नीलम पत्नि स्व0 श्री चुन्नीलाल उम्र 52 वर्ष
4. कौशल पुत्र स्व0 श्री चुन्नीलाल उम्र 27 वर्ष
5. कुमारी खेमली पुत्री स्व0 श्री चुन्नीलाल उम्र 25 वर्ष
6. जयकुमार पुत्र स्व0 श्री चुन्नीलाल उम्र 24 वर्ष
7. राजीव लोचन पुत्र स्व0 श्री चुन्नीलाल उम्र 23 वर्ष

समस्त जातिगण कोली, निवासीगण म0नं0 387/2, कमला बावडी, गंज, अजमेर

.....**अपीलान्ट**

बनाम

1. श्री सोहनलाल पुत्र स्व0 श्री पन्नालाल जी, उम्र 89 वर्ष
2. जानकीलाल पुत्र श्री सोहनलाल उम्र 50 वर्ष

दोनो जातिगण कोली, निवासीगण म0नं0 367/2 कमला बावडी, गंज, अजमेर

.....**रेस्पोडेन्ट्स**

अपील अन्तर्गत धारा 16 अभिभावको और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 अपील विरूद्ध आक्षेपित आदेश दिनांक 30.01.2026 पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी अजमेर) भरण पोषण न्यायाधिकरण अजमेर

आदेश **दिनांक :–06.04.2026**

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अधीनस्थ अधिकरण पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी अजमेर) के आदेश दिनांक 30.01.2026 जिसमें "अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 को आदेशित किया है कि वह प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति म0नं0 387/02, कमला बावडी, गंज, अजमेर में प्रार्थी के निवास उपयोग/उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करेंगे एवं प्रार्थी कमला बावडी में अवस्थित उक्त सम्पत्ति मं0नं0 387/02 में निवास करेंगे यदि प्रार्थी श्री सोहनलाल के उक्त सम्पत्ति में निवास/उपयोग में अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार की बाधा/मारपीट गाली–गलौच किया जाता है या प्रार्थी को प्रताड़ित करते है तो थानाधिकारी पुलिस थाना गंज अजमेर को निर्देशित किया जाता है वह नियमानुसार सख्त कार्यवाही करेंगे।" आदेश दिनांक 30.01.2026 को पारित किया गया जिससे असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का सम्बन्धित रेकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट स्वयं उपस्थित आये। उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

जिला कलक्टर
अजमेर

अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी सं0 1 व 2 तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 के पिता एवं अपीलार्थी संख्या 3 लगायत 7 व स्व0 चुन्नीलाल के वारिसान तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 के पौते/पौती व बहू है। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने जानबूझकर बदनियती से प्रत्यर्थी संख्या 2 को अप्रार्थी के रूप में सम्मलित करते हुये माननीय अधिनस्थ अधिकरण के समक्ष धारा 5 माता–पिता का भरण–पोषण अधिनियम 2007 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने मकान नं0 387/2 कमला बावडी, गंज अजमेर उसकी खरीदशुदा सम्पत्ति है व अपीलार्थीगण तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 मकान नं0 387/2 में उसे निवास नहीं करने दे रहे है और उसके साथ मारपीट की जाती है तथा उसे बेदखल कर दिया जाता है। वह रेल्वे से सेवानिवृत कर्मचारी हैं व उसकी पेन्शन राशि को भी उससे ले लिया जाता है। प्रत्यर्थी संख्या 1 की सेवानिवृति वर्ष 1996 में हुई और जो भी राशि उसे प्राप्त हुई वह भी उससे प्राप्त कर ली गई। प्रत्यर्थी संख्या 1 को उसकी बेटियो से मिलने नहीं दिया जाता है तथा पुलिस में शिकायत करने पर पुलिस सुनवाई नहीं करती है। प्रत्यर्थी सख्या 1 द्वारा माननीय अधिकरण के समक्ष जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उसका अपीलार्थीगण ने ठोस सबूतो एवं दस्तावेज सहित जवाब प्रस्तुत किया तथा माननीय अधिनस्थ उच्च न्यायालय, राजस्थान के दृष्टान्त प्रस्तुत किये लेकिन माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब, दस्तावेजो एवं न्यायिक दृष्टान्तो का अवलोकन नहीं करके केवल मात्र प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र, के आधार पर दिनांक 30.01.2026 को आदेश पारित किया गया। जिसमें अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति म0नं0 387/2, कमला बावडी, गंज, अजमेर में प्रार्थी के निवास उपयोग/उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करेगे एवं प्रार्थी कमला बावडी में अवस्थित उक्त सम्पत्ति मं0नं0 387 में निवास करेगे यदि प्रार्थी श्री सोहनलाल के उक्त सम्पत्ति में निवास/उपयोग में अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार की बाधा/मारपीट गाली–गलौच किया जाता है या प्रार्थी को प्रताडित करते है तो थानाधिकारी पुलिस थाना गंज अजमेर को निर्देशित किया जाता है वह नियमानुसार सख्त कार्यवाही करेंगे। माननीय अधिनस्थ अधिकरण ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 प्रत्यर्थी संख्या 2 के साथ म.नं. 367/2, कमला बावडी, गंज, अजमेर में निवास कर रहा है इसके सम्बन्ध में अपीलार्थीगण ने माननीय सिविल न्यायाधीश (क. ख) पश्चिम अजमेर के समक्ष दोनो प्रत्यर्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध बेदखली का मुकदमा प्रस्तुत किया है। जो मय शपथ पत्र के प्रस्तुत है, जिसमें दोनों प्रत्यर्थीगण के शपथ पत्र लगे है लेकिन माननीय अधिनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1 ने प्रत्यर्थी संख्या 2 को अपीलार्थीगण के साथ पक्षकार बनाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, इस सबंध में माननीय अधिनस्थ अधिकरण ने गौर नहीं करके कानूनी त्रुटि की है। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने सेवानिवृति के पश्चात जो राशि प्राप्त हुई थी उस राशि के साथ अपीलार्थी संख्या 1 व मृतक चुन्नीलाल के सहयोग से अपनी दोनो बेटियो की शादी सन् 2003 में की थी। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने माननीय अधिनस्थ अधिकरण के समक्ष इस तथ्य को छिपाया है और अपीलार्थीगण पर रकम लेने का झूठा आरोप लगाया है लेकिन माननीय अधिनस्थ अधिकरण इस पर भी गौर नहीं करके कानूनी त्रुटि की है। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने प्रत्यर्थी संख्या 2 को छोडकर अपीलार्थीगण के विरूद्व माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (व.ख) संख्या 1, अजमेर के समक्ष दीवानी दावा व स्थगन प्रार्थना पत्र सोहनलाल बनाम रोशनलाल व अन्य प्रस्तुत किया, जिसमें माननीय न्यायालय ने विधिक

जिला कलक्टर
अजमेर

प्रार्थना पत्र (स्थगन प्रार्थना पत्र) में दिनांक 04.09.2025 को आदेश पारित कर सोहनलाल वादी जो इस अपील में प्रत्यर्थी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाते हुये उसे झूठा साबित किया लेकिन माननीय अधिनस्थ अधिकरण ने उपरोक्त आदेश पर गौर नहीं करके कानूनी त्रुटि की है। अपीलार्थीगण ने माननीय अधिनस्थ अधिकरण के समक्ष मय दस्तावेज जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 की सेवानिवृति से लेकर समय समय पर जो भी दस्तावेज तैयार किये गये उसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपना निवास मकान नं0 367/2 कमला बावडी, गंज, अजमेर लिखवाया है लेकिन मुकदमो में अपने आपको म.नं. 387/2 कमला बावडी, गंज में रहना बताया है जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1 प्रत्यर्थी संख्या 2 व उसके परिवार के साथ मकान नं0 367/2 में निवास कर रहा है। अधिनस्थ अधिकरण ने तहसीलदार द्वारा जो पटवारी द्वारा बनाई गई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उस रिपोर्ट पर अपीलार्थीगण ने आपत्ति प्रस्तुत की, जिसमें दो गवाहन् मंगलचन्द व शिवकरण के हस्ताक्षर व मोबाईल नम्बर है लेकिन माननीय अधिनस्थ अधिकरण ने ना तो उस पर गौर फरमाया और ना ही उसका उल्लेख किया जो कानूनी त्रुटि है, उपरोक्त आपत्ति में स्पष्ट रूप से अंकित था कि संबधित पटवारी ने मौके पर ना जाकर गंज चौराहे पर मुड्डे की दुकान पर बैठकर प्रत्यर्थीगण के निर्देशानुसार रिपोर्ट तैयार की है जो सी.सी.टी.वी कैमरे में कवर हो रही है लेकिन सम्पूर्ण आपत्ति पर गौर नहीं फरमाकर कानूनी त्रुटि की है। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने माननीय अधिनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व इन्ही कथनों के आधार पर दो दीवानी दावे सिविल न्यायाधीश (क.ख) पश्चिम अजमेर व अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (व.ख) संख्या 1, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किये है, उन दोनो मुकदमो में उसको ईच्छानुसार न्याय नहीं मिलने के कारण माननीय अधिनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया इस सबंध में माननीय अधिनस्थ अधिकरण को बताने पर एवं न्यायिक दृष्टांन्त प्रस्तुत करने पर भी जो आदेश पारित किया है वो विधि के प्रतिकूल है। अपीलार्थीगण ने फर्द दस्तावेज के साथ माननीय जिला न्यायाधीश अजमेर राजस्थान के दीवानी विविध अपील संख्या 51/2025 बउनवान सोहनलाल बनाम रोशन लाल व अन्य निर्णय दिनांक 06.03.2026 की प्रमाणित प्रति एवं 2015 (3) डी.एन.जे. राज0 पेज 1139 प्रस्तुत किये गये। अतः अपीलार्थीगण की उपरोक्त अपील को स्वीकार कर माननीय अधिनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.01.2026 को अपास्त करने के आदेश प्रदान करे।

रेस्पोडेन्ट ने जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस में निवेदन किया गया कि अधिनस्थ अधिकरण ने विधिनुसार निर्णय पारित किया गया है। अपीलांटगण द्वारा किये कथन झूठे हैं। अतः अपीलांटगण की अपील खारिज फरमावे।

हमने उपस्थित उभयपक्ष को सुना, अपील तथ्यों एवं रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन मनन किया। उभय पक्ष द्वारा हमारे समक्ष व्यक्त कथनों एवं प्रकट तथ्यों पर समस्त दृष्टिकोण से विवेचन किया गया। अपीलांट/प्रार्थी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र 10/2025 बउनवान सोहनलाल बनाम रोशनलाल व अन्य के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–05 माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत भरण पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माता–पिता और वरिष्ठ नागारिको का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत धारा 16(1) में प्रावधान दिये गये है कि अधिकरण के आदेश से व्यथित कोई वरिष्ठ नागरिक या माता–पिता, आदेश की तारीख से साठ दिनों के भीतर, अपील अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल कर सकेगा।

जिला कलक्टर
अजमेर

वरिष्ठ नागरिक या माता–पिता के पुत्र/पुत्रीयां अधिनस्थ अधिकरण के आदेश के विरूद्व अपील नहीं कर सकते है। अपीलान्ट द्वारा ऐसे कोई ठोस नये तथ्य, साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है, जिससे अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जावे। अपील के साथ सलंग्न दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा संलग्न दस्तावेजो से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर उक्त आदेश दिनांक 30.01.2026 पारित किया गया है, जो कि विधि सम्वत् एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 30.01.2026 में हाजा न्यायालय किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता है। अतः अपील अपीलांन्ट निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.01.2026 यथावत रखे जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। अतः अपील चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 06.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला मजिस्ट्रेट एवं पीठासीन अधिकारी
अपीलीय भरण पोषण न्यायाधिकरण, अजमेर